सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (b)में उल्लिखित 17 दस्तावेज

3. **सूचना का अधिकार :–** इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. **लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ** – (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी :–

(क) सम्यक् रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध अपने सभी अभिलेखों को किसी ऐसी रीति और रूप से रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर हैं और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए हैं, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके,

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर :–

i. अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्य और कर्त्तव्य,

ii. अपने प्राधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य,

iii. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं,

iv. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान,

v. अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख,

vi. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके निन्त्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण,

vii. किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं,

viii. ऐसे बोर्डो, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुँच होगी,

ix. अपने प्राधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका,

x. अपने प्रत्येक प्राधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथोपवंधित प्रतिकर की प्रणाली शामिल है,

xi. सभी योजनाओं, प्रस्तावित खर्चो और किए गए संवितरणों पर प्रतिवेदनों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट,

xii. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं,

xiii. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा–पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियाँ,

xiv. किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों,

xv. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयाँ, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं,

xvi. लोक सूचना प्राधिकरियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ,

xvii. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,